

प्रकरण जोगेन्द्र सिंह बनाम अमरसिंह  
 अध्याय निषेधाज्ञा प्रकरण 145/22 (271/2021)

तारीख हुकम

न्यायालय  
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स-जज  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बरसा (दोसा)

नम्बर व  
 जो इस  
 में



13/3/24

पञ्जावली पेज हुई। वकीलों द्वारा कार्य  
 न/स.स. 110 राज्य कार्य में व्यस्त  
 से जन्मजात तारीख पेशी हो गई मस  
 अदेश की मालना में दिनांक. 22/3/24.  
 पेज हो।  
 4  
 हस्ताक्षर रीवर

14/3/24

पञ्जावली पेज हुई। पञ्जावली काज दिनांक  
 को प्राथी जोगेन्द्र सिंह द्वारा पञ्जावली तलब  
 कर न्यायालय परत पर ले जाने व तलब  
 किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्र के क्रम में  
 न्यायालय परत पर रखी गयी। प्राथी द्वारा  
 1 प्रा. पत्र इस आशय का पेश किया है कि  
 प्राथी जोगेन्द्र सिंह काब इस अध्याय निषेधाज्ञा  
 प्रकरण जोगेन्द्र सिंह बनाम अमरसिंह को  
 कागे नहीं-नमाना चाहता है, प्रकरण अध्याय  
 निषेधाज्ञा को withdraw करना चाहता  
 है। अतः प्रकरण विट्टे करने की इजाजत  
 प्रदान की जावे।  
 प्राथी का withdraw प्रा. पत्र स्वीकार  
 किया जाता है, मरनात अध्याय निषेधाज्ञा  
 प्रकरण सं. 145/22 (Old 271/2021) को  
 कार्रज किया जाकल, शीवल दफ्तार किया  
 जाकल, प्रकरण न। नमाना से कम किया  
 जाता है।

जोगेन्द्र सिंह  
 over  
 Vaidhyan

उपखण्ड अधिकारी  
 बरसा (दोसा)

